RAJYA SABHA

Friday, the 10th December, 1999/19 Agrahayana, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम किराए पर लिए जाना

*181. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**†
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए निजी क्षेत्र से गोदाम किराए पर लिए हुए हैं; यदि हां, तो निजी क्षेत्र और अन्य सरकारी निकायों से किराए पर लिए हुए गोदामों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) निगम के अपने गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि निगम ने वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में अब तक भारी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की थी; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्नों की यह खरीद कितनी मात्रा में की गई थी और क्या निगम के पास खरीदे गए खाद्यान्नों को ढके गोदामों में रखने की क्षमता थी?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी हां। 30.9.1999 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास प्राइवेट पार्टियों से किराए पर ली गई 50.97 लाख टन भंडारण क्षमता और केन्द्रीय भंडारण निगम और

†सभा में यह प्रश्न श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया द्वारा पूछा गया।

राज्य भंडारण निगमों/राज्य सरकारों से किराए पर ली गई 42.12 लाख टन भंडारण क्षमता मौजूद है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 144.58 लाख टन है जिसमें से 125.42 लाख टन ढकी हुई है जबकि शेष 19.16 लाख टन कैप (कवर और प्लिंथ) की है।

(ग) और (घ) जी, हां। सूचना नीचे दी गई है:—

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल	धान	मक्का	अन्य खाद्यान्न	
					ज्वार	बाजरा
1997-98	20.18	88.41	30.27	0.01	–	–
1998-99	31.42	65.57	24.63	0.01	–	0.01
1999-2000 (26 नवम्बर, 1999 तक)	38.25	15.42	25.32	–	–	–

उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खरीद किए गए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु पर्याप्त क्षमता थी।

Hiring of Godowns by FCI

††*181. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:†
SHRI BARJINDER SINGH HAMDARD:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India has hired godowns from the private sector for storage of foodgrains; if so, the total storage capacity of the godowns hired from the private sector, as well as from other public sector bodies;

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Balwant Singh Ramoowalia.

†† Original notice of the Question was received in Hindi.

(b) the storage capacity of the Corporation's own godowns;

(c) whether it is a fact that the Corporation had purchased large quantities of foodgrains during 1997-98, 1998-99 and so far during 1999-2000; and

(d) if so, the quantity of foodgrains purchased, and whether the Corporation had the capacity to keep the purchased foodgrains in the covered godowns?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir, As on 30-9-99, the FCI has storage capacity of 50.97 lakh tonnes hired from private parties, and storage capacity of 42.12 lakh tonnes from other Public Sector agencies like the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations/State Governments.

(b) FCI's owned godowns have a total storage capacity of 144.58 lakhs tonnes, out of which 125.42 lakhs tonnes is covered while the remaining 19.16 lakh tonnes is CAP (covered and plinth).

(c) and (d) Yes, Sir. The information is given below:—

(Figures in Lakh Tonnes)

				Other Food-grains		
Year	Wheat	Rice	Paddy	Maize	Jowar	Bajra
1997-98	20.18	88.41	30.27	0.01	-	-
1998-99	31.42	65.57	24.63	0.01	-	0.01
1999-2000 (upto 26th November, 1999	38.25	15.42	25.32	-	-	-

FCI had sufficient capacity for storing the purchased foodgrains in its godowns during the above period.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, according to the information provided by the hon. Minister, the total storage capacity of the godowns hired from the private parties by the FCI is 50.97 lakh tonnes; the total storage capacity in the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporation is 42.1 lakh tonnes and the storage capacity with the FCI itself is 144.58 lakh tonnes. Sir, this is a very acute problem. Sometimes, we have to face a crisis because of under-production. But it is unfortunate for this country and the FCI has to be blamed for this. Because of this storage problem, there has been a huge loss and wastage of foodgrains, both rice and wheat. What do we do? The foodgrains we purchase at a higher price, we have to sell them at a lower price. As a result of this, the countrysuffers a loss. I would like to know from the hon. Minister as to what the Government of India and the FCI plan to increase the storage capacity. What steps the FCI has so far taken, particularly, to enhance the storage capacity in the States which have a surplus of foodgrains?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, स्टोरेज केपेसिटी कम होने के कारण अनाज खराब होता है, यह सत्य नहीं है, यह तथ्य नहीं है। इस समय जितनी केपेसिटी हमारे पास है, उसका यूटिलाइजेशन 76 परसेंट है। खराब होने के कारण और हैं, केपेसिटी कम है यह नहीं है, जो केपेसिटी है उसकी गुणवत्ता में, रखने में, रख-रखाव के तरीके के विशुद्ध वैज्ञानिक न होने इत्यादि कमियों के कारण अनाज खराब होने की शिकायतें आती हैं। केपेसिटी कम होने के कारण अनाज खराब होता है यह सत्य इसलिए नहीं है, तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि टोटल केपेसिटी जितनी इस समय हमारे पास है, उसका यूटिलाइजेशन 76 परसेंट है, यह बढ़ता-घटता रहता है, जब हम प्रोक्योर करते हैं तो हमारे पास रखने के लिए अधिक होता है।

जहां तक आपने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा है, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसमें से 26.44 करोड़ रुपए अलॉट किए जा चुके हैं, 4.5 लाख टन केपेसिटी बढ़ाने का प्रावधान था जिसमें से 10.39 टन केपेसिटी बढ़ाई जा चुकी है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: सभापति महोदय, मंत्री जी ने पता नहीं कैसे कह दिया कि स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से अनाज खराब नहीं होता। जनाब, मंत्री जी ने खुद स्टेटमेंट में माना है कि 19.16 लाख टन अनाज बाहर रखा जाता है जिसको सी॰एपी॰ कहते हैं-कवर्ड ऐट प्लिथ। मंत्री जी स्वयं जानते हैं और पंजाब में और हरियाणा में इन्होंने देखा है कि जितना अनाज बाहर

पड़ा है व्हीट भी पड़ा है, पैडी भी पड़ा है, सारा का सारा बारिश से गल रहा है। ये खुद ही मान रहे हैं कि 19 लाख टन बाहर पड़ा है। मैंने यह मुद्दा उठाया है कि अनाज का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि अनाज स्टोरेज की कैपेसिटी कम है और बहुत सा अनाज बरबाद होने के कारण डिस्ट्रेस सेल पर बेचना पड़ता है। आप खुद कहते हैं कि 20 लाख टन अनाज बाहर पड़ा है। फिर कहते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी की कमी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे दोबारा अपना जवाब चैक करें।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो स्टेट्स ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको रिवार्ड मिलना चाहिए लेकिन उनको सज़ा मिल रही है। जैसे पंजाब का मामला है। पंजाब के मामले को लेकर आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल आपसे मिले हैं। आपसे मिलकर उन्होंने कहा है कि पंजाब में इतना अनाज बाहर पड़ा है, इतनी स्टोरेज की प्रॉब्लम है और अगर रोज 25 स्पैशल रेक्स और महीने में ऐडीशनल 75 रेक्स लिफ्ट न किए गए तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अभी अप्रैल के महीने में व्हीट आने वाला है, तब तो मार्केट में एक तरह से फ्लड आ जाएगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल की विनती पर क्या अमल हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सूबों में हर साल पैडी और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली पंजाब में, तो आप पंजाब में आने वाले वक्त में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और पहले से मौजूद जो क्वांटिटी ऑफ फूडग्रेन्स है, उसको लिफ्ट करने के लिए क्या स्पैसिफिक योजना बना रहे हैं?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, यह ठीक है कि हमने जो आंकड़े दिए हैं, उसमें कहा है कि हमारे एफ॰सी॰आई॰ की कुल कवर्ड कैपेसिटी 125.42 लाख टन है और उसमें से 19.16 लाख टन सी॰ए॰पी॰ यानी कवर्ड ऐट प्लिथ है, यह मैं मानता हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह जो सी॰ए॰पी॰ सिस्टम है अनाज रखने का, यह पूर्णतया वैज्ञानिक है। इसके कारण अनाज खराब होता है, यह सत्य नहीं है, यह मेरा निवेदन है क्योंकि अनाज रखने का तरीका पूरी तरह से वैज्ञानिक है। उसको बाकायदा ठीक तरीके से ढका जाता है। नीचे प्लिथ होती है, बल्कि उसमें हवा भी लगती रहती है, इसलिए अनाज के खराब होने की संभावना नहीं रहती हैं। पानी उस पर न पड़े, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। हां, बाहर जरूर खराब होता है। लेकिन यहां गोदामों में अनाज पड़ा नहीं होता, संभालकर रखा होता है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, यह मेरा इनसे निवेदन है।

सभापति जी, मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल मुझ से मिले थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि व्हीट इतना हमारे भंडारों में था कि अगली फसल आएगी तो क्या होगा।

इसलिए तुरंत सरकार ने इस संबंध में दो निर्णय कि व्हीट हमारे पास बहुत ज्यादा था, भंडार भरे पड़े थे, उसका इंपोर्ट हो रहा था और अगली फसल आने वाली थी। अगली फसल आने से पहले सरकार यदि कोई व्यवस्था न करती तो हमारे पास दो ही विकल्प थे। एक विकल्प तो यह था कि हम प्रोक्योरमेंट न करते। अगर हम प्रोक्योरमेंट न करते तो किसान की कमर टूट जाती, और यदि हम प्रोक्योरमेंट करते तो हमारी कमर टूट जाती। इसलिए सरकार ने दो निर्णय किए। पहला निर्णय तो यह किया कि 50 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाई ताकि व्हीट का इंपोर्ट डिस्करेज हो और दूसरा निर्णय यह किया कि हमारे पास जो ओपन सेल का गेंहू था, उसका भाव 5 प्रतिशत कम कर दिया, इसके कारण हमारे भंडार उठेंगे।

सभापति महोदय, ट्रांसपोर्टेशन पंजाब से हो, इस संबंध में इससे पहले वहां के फूड मिनिस्टर मुझ से मिले थे। और जिस दिन वे मिले थे, उसी दिन हमने तय कर दिया था कि पंजाब से जो भी मूवमेंट होगा, वह पंजाब के खाते में से होगा। इस बात को कल मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया और कहा कि आपने कर दिया है। उन्होंने कुछ और जो बातें कही हैं, उनके संबंध में अति शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और पंजाब की भंडारण क्षमता अगली फसल आने से पहले पर्याप्त हो जाए, इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी।

उन्होंने कुछ और कहा है उस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई करके पंजाब की भंडारण क्षमता अगली फसल आने से पहले पर्याप्त हो जाए इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी।

श्री रामजीलाल: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो गोडाउन की बात कही है मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब आप ने कहा है कि 19.16 लाख टन माल आपके पास रहता है, तो आप कब तक गोडाउन बना लेंगे ताकि सारा माल अंदर रखा जाए? दूसरे, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि स्टेट में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है चूंकि मैं किसान से संबंधित हूं तथा इन बातों को जानता हूं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो फूडग्रेन का मामला है अलग-अलग स्टेट मंत्री अपने हिसाब से ठेका देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो बाहर माल पड़ा रहता है उसमें कितनी कमी दिखलाई जाती है? आपके आफिसर्स बाहर माल इसलिए रखते है कि वह सड़ जाए और उनको इस बात का प्रोफिट होता है कि इस कारण वह माल की बड़ी भारी घटोत्तरी दिखा सकेंगे। तो क्या यह फिगर्स मुझे बताएंगे तथा यह गोडाउन कब तक बन जाएंगे ताकि सारा माल गोडाउन में आ जाए। दूसरे, जो आपने ठेकादारों को ठेका देते हैं, क्या आप इसकी इंक्वायरी कराएंगे?

श्री शांता कुमार: सी॰एफ़॰पी॰ व्यवस्था वैज्ञानिक है। यह ठीक है कि आदर्श व्यवस्था यह होगी कि गोडाउन हों। नाइंथ फाइव ईयर प्लान में क्या व्यवस्था है मैंने आपको बता दिया। कितना

हो चुका है यह भी बता दिया। जितने साधन होंगे, उनके अनुसार कुछ स्कीम्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी स्कीम है कि 50 प्रतिशत लोन, 50 प्रतिशत ग्रांट है। उस स्कीम में कुछ स्टेट्स आगे आते हैं, उनके गोडाउन बन रहे है। तो केपेसिटी बढ़े और अच्छी केपेसिटी हो इस दिशा में प्रयत्न अवश्य होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सी०एफ०पी० की जो केपेसिटी है, उसमें रखने को गलत तरीके से रखा जाए , गलत काम हो तो गोदाम के अंदर भी रखा हुआ सड़ सकता है और ठीक ढ़ंग से, वैज्ञानिक ढ़ंग से, ईमानदारी से बाहर रखा हो तो वह भी खराब नहीं होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके कारण खराब होता है यह बात नहीं है। आपने ट्रांसपोर्टेशन में ठेकेदारी की बात कही। सभापति जी, ठीक और गलत दोनों चीजें सब जगह होती है। यदि कहीं आपके ध्यान में ऐसी बात है तो हमारे ध्यान में लाइए उस जांच भी होगी, पड़ताल भी होगी और दोषी की सजा भी दी जाएगी।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति महोदय, मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि खाद्यान्न रख-रखाव से खराब नहीं होते। लेकिन जलवायु का प्रभाव पड़ता है, बीमारी से खराब होते है, चोरी भी हो जाती है, पानी से भी सड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण में जितना खाद्यान्न रखा जाता है उसका कितने प्रतिशत कितने वजन में प्रति वर्ष खराब होता है और उसकी कीमत पूरे वर्ष में कितनी होती है?

श्री शांता कुमार: यह सूचना तो इस समय नहीं है, मैं आपको दे दूंगा बाद में।

SHRI J. CHITHARANJAN: The hon. Minister has replied that FCI has got sufficient capacity to store the foodgrains that are being purchased and if at all, the foodgrains have to be kept outside the godowns, these are kept in a scientific way and so, there is no damage. But, in reality, the foodgrains that are being supplied or issued by FCI, to be distributed through the ration shops, are, most often, found to be very bad. How does it happen and despite repeated complaints, why are steps not being taken to prevent it and ensure that better stuff is issued to the ration shops?

श्री शांता कुमार: गुणवत्ता के संबंध में शिकायत है कि जो राशन दिया जाता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहती। कई जगह से इस प्रकार की शिकायत आई है। इस संबंध में पूरी कोशिश की जाएगी कि गुणवत्ता ठीक हो, ठीक ढंग से जाए। इनमें इस समय तो केवल दो केटेगरी हैं जो इश्यूबिल हैं, नॉन-इश्यूबिल हैं और उसमें पूरी जांच करके गुणवत्ता का स्तर बनाने की कोशिश की जाएगी।

SHRI N. THALAVAI SUNDRAM: Mr. Chairman, Sir, I am not satisfied with the answer given by the hon. Minister. The hon. Minister in the answer has stated that the FCI had sufficient capacity for storing the purchased foodgrains in its godowns during the above period. Sir, in Nagapattinam and Thanjavur districts, rice and other food articles are purchased by the FCI and they are not properly kept in the godowns. In our State of Tamil Nadu, rice is procured by the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation and the Central Warehousing Corporation and they do not have sufficient godowns for storing the rice. As a result, the rice is damaged during the rainy season, as it is kept in the open. I request the hon. Minister to take adequate steps in this regard. As far as Tamil Nadu is concerned, the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation comes under the control of the State Government. There are limited number of godowns to keep the foodgrains. As far as the Food Corporation of India is concerned, it does not have sufficient funds to construct more godowns. The Tamil Nadu Government is not taking any steps to preserve the foodgrains.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, मैंने जैसा पहले कहा कि स्थिति इस समय यह है कि फूड कारपारेशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रक्योर किया, जिसको स्टोर करने की हमारी जिम्मेदारी है, वह खाद्यान्न 154 लाख टन है। लेकिन हमारे बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो खाद्यान्न रखा हुआ है वह टोटल 320 लाख टन है। उसकी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट ने की है। इन्होंने यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पर प्रक्योर करके जो खाद्यान्न का भंडारण रखती है, उसको रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। यह सत्य है कि कहीं-कहीं पर इस प्रकार की आवश्यकता है। जितने वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार गोदाम बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें प्रदेश की सरकार भी आगे आ सकती है। पचास प्रतिशत हम दे सकते हैं। जहां-जहां, जिन-जिन प्रदेशों में आवश्यकता है, वहां-वहां हम मदद कर सकते हैं, फिफ्टी-फिफ्टी के हिसाब से, वह मदद हम कर देंगे। यदि प्रदेश आगे आएं तो अधिक स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की कोशिश की जा सकती है।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिए हैं वे परस्पर विरोधी हैं। मंत्री जी यह कह रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो भंडारण किया जाता है उसकी उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है और उसमें कहीं कोई गड़बडी नहीं है। उसके रख-रखाव और गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुणवत्ता में और रख-रखाव में किस प्रकार की कमी है? जहां तक भारतीय खाद्य निगम की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में, उनमें लगभग हर ऑडिट रिपोर्ट में इस बात की चर्चा है कि भंडारण के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न को क्षति पहुंचती है।

सभापति महोदय, कानपुर में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम है । वहां पर कुछ वर्ष पहले सैकड़ों टन गल्ला भंडारण की खराबी के कारण नष्ट हो गया और ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी है। उनका कहना यह है कि केन्द्र और राज्यों में जो भंडारण होता है उसकी पृथक-पृथक व्यवस्था है। उसके बारे मे जवाबदेही तो भारतीय खाद्य निगम को कुछ न कुछ लेनी होगी। भारतीय खाद्य निगम यह कहकर कैसे बच सकता है कि वह स्वयं राज्य सरकारों की व्यवस्था है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के आदेश पर, उसके निर्देश पर वह सब व्यवस्था करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार का तालमेल आप बैठाना चाहते हैं और किस राज्य सरकार ने भारत सरकार से या भारतीय खाद्य निगम से यह कहा है कि उसके पास इतनी और अधिक आवश्यकता है भंडारण व्यवस्था बनाने के लिए?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, मैंने यह नहीं कहा कि खाद्यान्न खराब नहीं होता। मैंने यह कहा था कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कैपेसिटी कम होना कारण नहीं है, कारण और हैं। सभापति जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडारों में जो अनाज है, खराब होता है। कमियों के कारण खराब होता है जो कि चिंता का विषय है। अब इस समय सारे अनाज की दो कैटेगरीज़ हैं–ईश्युएबल और नॉल ईश्युएबल। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इस समय जो हमारे पास कुल अनाज है, यह सचमुच चिंता का विषय है। उसमें से 2 लाख 81 हजार टन चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ईश्यू करने योग्य नहीं है, यह हमारा रिकॉर्ड कह रहा है और 15 लाख टन गेहूं ईश्यू करने योग्य नहीं है। यह चिंता का विषय है और इसको देखा जा रहा है कि इतना अनाज नॉन ईश्युएबल क्यों हुआ है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि खराब नहीं होता है, खराब होता है। मैंने कहा कि उसके अन्यान्य कारण हैं जिन कारणों को देखा जा रहा है, देखा जाएगा और इस पर पूरी कार्यवाही करने का आश्वासन मैं इस सदन को देता हूं।

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवर, कृपा करके कारण बताइए जिससे 16 लाख टन गेहूं खराब हो गया, 3 लाख टन चावल खराब हो गया। क्या यह बात आप नहीं बताएंगे ? मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप इसके कारण बताएं। ...(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: यही बात मैंने शुरू में कही थी कि अनाज ज़ाया होता है, देश का नुकसान होता है और बरबादी होती है और उन्होंने दूसरी बात कह दी। मैंने भी यही कहा था।

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अनाज खराब होता है। इसमें गेहूं का आंकड़ा 15 हजार टन है--15 हजार टन गेहूं नॉन ईश्युएबल है और 2 लाख 81 हजार टन चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नॉन ईश्युएबल है। यह खराब हो गया है, इससे कोई इंकार नहीं है। खराब क्यों होता है, उसके बहुत से कारण हैं। इसका एक कारण तो यह है कि जब हमको प्रोक्योर करना होता है तब उसमें जो स्पेसिफिकेशन्स हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार स्पेसिफिकेशन्स जो हैं, उन्हें रिलैक्स करने के लिए मांग उठती है। वह मांग दबाव का रूप लेती है, वह मांग राजनीतिक दबाव का रूप लेती है और समय-समय पर स्पेसिफिकेशन्स बदली भी जाती रही हैं, उसके कारण भी उसकी गुणवत्ता में अंतर पड़ता है। और आज स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत सा चावल ऐसा है जिसके बारे में प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमें यह चावल मत दीजिए। हमने पता किया कि इस चावल में गड़बड़ क्या है, तो जब लेना था तब उस समय इतना प्रेशर पड़ा कि आप स्पेसिफिकेशन्स बदल दीजिए, आप यह कर दीजिए , वह कर दीजिए। अब यह निर्णय किया गया है कि स्पेसिफिकेशन्स बिलकुल न बदली जाएं, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए। एक कारण तो यह होता है। दूसरे, रखने में भी गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं और पूरे प्रशासन की व्यवस्था में आचार, भ्रष्टाचार कितना है, यह कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे कारण हैं और मैं स्वीकार करता हूं कि इन सारे कारणों को हमें ठीक करना है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कारण हैं, इनको हम ठीक करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोहन: मंत्री जी कृपा करके बताएं कि भारतीय खाद्य निगम के कितने अधिकारियों को आपने दंडित किया है ?

श्री शांता कुमार: यह मेरे प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप अलग प्रश्न करें, पूरा जवाब दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: I think, a number of hon. Members want to put questions, it is better to have a half-an-hour discussion.

Proposals for Cultural Complexes in Assam

*182. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of CULTURE, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether two proposals for cultural complexes namely, Ban Theatre